फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

ईजराय प्रार्थना पत्र संख्या : 13 / 2024

उनवानः श्रीमती लीना [illegible] बनाम अशोक कुमार

पत्रावली आज दिनांक 28.04.2025 को पेश हुई। वकील प्रार्थी/डिक्रीधारी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा जमाबंदी प्रस्तुत कर अवगत कराया की न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हो चुकी है इसलिए पत्रावली का पालना से फैसल किया जावें। वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर हुआ की न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हो चुकी है। जब न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हो चुकी है तो पत्रावली को पालना से फैसल किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः ईजराय प्रार्थना पत्र को पालना से फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

[30/04/25]

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय